न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–96 / 2018

दायर दिनांक: 09.07.2018

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. इकबाल पुत्र श्री रजाक जाति मुसलमान निवासी नैनवां तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–वादी

बनाम

1. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब तहसील नैंनवां जिला बून्दी (राज0)
2. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान जिलाधीश महोदय, बून्दी (राज0)
3. गोरधन पुत्र श्री बजरंग लाल जाति मीणा निवासी चैनपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र – अन्तर्गत धारा 88,92ए,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:–

1. वादीगण के अभिभाषक श्री राजेन्द्र नागर एडवोकेट।

निर्णय दिनांक 13.01.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नैनवां द्वितीय में भूमि खसरा संख्या 1919 रकबा 4 बीघा, खसरा संख्या 1920 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 1921 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। यह कि विवादित भूमि अलाबेली आ. हसन खां जाति मुसलमान निवासी नैनवां को करीब 50 वर्ष पूर्व आवंटित हुई थी और नियमानुसार कब्जा दिया गया था। अलाबेली 10 वर्ष तक लीजदार के रूप एवं तत्पश्चात बहैसियत खातेदार कृषक कानूनन काबिज चला आ रहा है। अलाबेली की मृत्यु करीब 35 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिनके कोई वारिस नही था। अलाबेली ने दिनांक 22.04.1978 को जर्ये रजिस्टर्ड वसीयतनामा द्वारा वादी को वारिस घोषित कर दिया था। अलाबेली की मृत्यु के पश्चात भूमि वादी के नाम लीजदारी में दर्ज हो चुकी है। जो अभी तक भी लीजदार के रूप में ही दर्ज है। जबकि वादी को खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 3 गत सप्ताह से अवैध एवं अनाधिकृत रूप से वादी को बेदखल करने एवं वादी के हक व आधिपत्य में हस्तक्षेप करने की गंभीर धमकियां दे रहा है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी अपने आपको लीजदार के बजाए खातेदार कृषक घोषित कराए, जमाबन्दी एवं अन्य भू–राजस्व अभिलेखों में लीजदार को विलोपित कराकर खातेदार कृषक दर्ज कराए, तदानुसार जमाबन्दी एवं अन्य भू–राजस्व अभिलेखों में आवश्यक इन्द्राज कराए। वादी ने अपने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075, पटवारी नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट, वसीयतनामा, बयान साक्ष्यवादी, बयान गवाह आदी पेश किये।

वादी के प्रार्थना पत्र लीजदारी से खातेदारी दिये जाने के सम्बन्ध में पटवारी नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार आवंटित भूमि वर्तमान राजस्व रिकोर्ड के अनुसार खाता संख्या 817 में ख.नं. 1919 रकबा 4 बीघा, खसरा संख्या 1920 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 1921 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर इकबाल पि0 रजाक कौम मुसलमान सा. देह लीजदार दर्ज है। यह भूमि पटवार मण्डल नैनवां द्वितीय में आती है। मौके पर वर्तमान में आवंटी का कब्जा काश्त है। वर्तमान में आवंटित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है।

वादी के वाद के जवाब में पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार बिन्दु सं. 1 स्वीकार है। बिन्दु संख्या 2 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 3 से 11 न्यायालय से सम्बन्धित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.03.12 11:18:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हमने वादपत्र, प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड का अवलोकन किया तथा वादपत्र में बहस सुनी गई। प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श–1 सम्वत् 2072–75 ग्राम नैनवां द्वितीय में वादी लीजदार दर्ज रिकॉर्ड है। शपथ पत्र साक्ष्यवादी पीडब्ल्यू–1 इकबाल वादी, साक्ष्यवादी गवाहान पीडब्ल्यू–2 सत्यनारायण ने भी अपने बयानों में वादपत्र के तथ्यों को स्वीकारा है। वादी के वाद पर मनन किया । वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। याचना वादी स्वीकार की जाती है। वाद वादी डिक्री किया जाता है। ग्राम नैनवां द्वितीय में भूमि खसरा संख्या 1919 रकबा 4 बीघा, खसरा संख्या 1920 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 1921 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा पर वादी को लीजदार के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार मूल सूद व पट्टा फीस आदि की वसूली कर राजकोष में जमा होने के उपरान्त राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुंनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.03.12 11:18:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner